

सेवा में,

L

३१

सम्पदा प्रबन्धक,  
जिस्थान आवासन मण्डल,  
वृत्त-तृतीय, जयपुर।

विषय : नजदीकी रिश्तेदारों में पंजीकरण हस्तान्तरण के क्रम में।  
सन्दर्भ : वरीयता क्रमांक.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं अपना पंजीकरण मेरे/मेरी.....

.....(रिश्ता) श्री/श्रीमती/कुमारी.....

के नाम हस्तान्तरित करवाना चाहता हूं, इस हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म, आय प्रमाण पत्र व निर्धारित फीस रुपये 200/500 जमा करवाकर चालान की तृतीय प्रति संलग्न कर रहा हूं। कृपया पंजीकरण हस्तान्तरण की कार्यवाही कर सूचित करें।

धन्यवाद।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

वर्तमान आवेदक का नाम व पता :

.....

.....

.....

- संलग्न :
1. बार्ड द्वारा निर्धारित फार्म सत्यापित करवाया हुआ।
  2. नये आवेदक का आय प्रमाण-पत्र।
  3. ई. डब्लू. एस./एल. आई. जी. -200 रु. एम. आई. जी.-ए/  
एम.आई.जी.-बी/एच. आई. जी. -500 रुपये नये आवेदक  
के नाम से कराई गई चालान की प्रति।

## निकट सम्बन्धियों के नाम पंजीकरण हस्तान्तरण का फार्म

1. शहर का नाम .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. जन्म दिनांक.....
5. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता .....
- .....
- .....

फोटो लगाकर राजपत्रित  
अधिकारी से सत्यापित  
करावें।

6. कारोबार (धन्धा) .....
7. वर्तमान वार्षिक आय (आय प्रमाण-पत्र) संलग्न करें। .....
8. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/स्वतन्त्रता सैनानी/  
सैनिक है, लिखें (प्रमाण-पत्र) संलग्न करें। .....
9. क्या आवेदक का शहर में स्वयं का अन्य कोई  
आवास है (साईड दर्शायें) .....
10. भुगतान पद्धति मूल आवेदन पत्र में यदि नकद  
भुगतान पद्धति है तो किराया क्रय पद्धति नहीं होगी। .....
11. शपथ किये गये कथन :-

- (अ) मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है।
- (ब) मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने इस प्रार्थना पत्र के साथ दिये गये अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ लिया है तथा इनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
- (स) मुझे मकान के आवंटित किये जाने के पश्चात मैं निहित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र किसी मजिस्ट्रेट/सहजज/नोटेरी पब्लिक द्वारा उसकी सम्यक रूप से सत्यापित करा कर प्रस्तुत कर दूंगा।
- (द) मैं मेरी पत्नि/मेरा पति या मेरे पर निर्भर अन्य सम्बन्धी के नाम उस शहर व नगर क्षेत्र में जिसमें पंजीकरण के लिये आवेदन किया है, किसी हिस्से पर अथवा स्वतन्त्र रूप से कोई आवासीय प्लॉट अथवा मकान या फ्लैट नहीं है।
- (य) मुझे आवासन मण्डल द्वारा राजस्थान में कहीं भी अभी तक मकान/फ्लैट आरखित अथवा आवंटित नहीं किया गया है।

(र) मेरे निधन की अवस्था में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राथमिकता के क्रम में उत्तराधिकारी मनोनीत करता/करती हूँ।

क्र. सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			

(मनोनीत व्यक्तियों को मकान आरक्षण/आवंटन उसका निजी आय वर्ग के अनुसार किया जावेगा।)

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान.....

नाम .....

दिनांक .....

वर्तमान पता .....

.....

.....

(नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित मोहर के साथ।)

10/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

## नये आवेदक द्वारा भरा जावे

मैं ..... पिता/पत्नी.....

..... उम्र.....

जाति ..... निवासी.....

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. मैंने राजस्थान आवासन मण्डल के डिस्पोजल ऑफ रेगुलेशन 1970 को पढ़ लिया है और इन्हें स्वीकार करता हूँ। राजस्थान आवासन मण्डल अपनी इच्छा से इस प्रार्थना पत्र पर मेरा इच्छित आय वर्ग का मकान आवंटित करेगा और मैं एतद द्वारा लेना स्वीकार करता हूँ।
2. मुझे मकान के पश्चात् मैं निहित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा उसकी सम्यक् रूप से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत कर दूंगा।
3. मैं मेरी पत्नी/मेरा पति या मेरे पर निर्भर अन्य सम्बन्धी के नाम उस शहर व नगर क्षेत्र में जिसमें पंजीकरण के लिये आवेदन किया है। किसी हिस्से पर अथवा स्वतन्त्र रूप से कोई आवासीय मकान/फ्लेट नहीं है।
4. मुझे आवासन मण्डल द्वारा राजस्थान में कहीं भी अभी तक मकान/फ्लेट आरक्षित आवंटित नहीं किया गया है।

मैं यह शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि पैरा 1 से 4 तक मेरी नजर में पूर्ण सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथग्रहिता

हस्ताक्षर .....

नाम .....

वर्तमान पता .....

.....

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित मोहर के साथ :